न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी – रामरख मीना (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या – 268/2016

1. रजीराम 2. लालचन्द 3. श्रवणराम पि. गोपीराम 4. विनोद कुमार पुत्र शेराराम पुत्र गोपीराम 5. चन्दकला पत्नी अमीचन्द पुत्र गोपीराम समस्त जाति मेघवाल निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

– वादीगण

बनाम

1.शिमलादेवी पुत्री गोपीराम 2. देवीलाल पुत्र शेराराम पुत्र गोपीराम 3.सुमन पुत्री शेराराम पुत्र गोपीराम 4.विजयकुमार 5. मदनलाल 6.रमेश कुमार पिसरान अमी चन्द पुत्र गोपीराम 7. कोरांदेवी पत्नी शेराराम पुत्र गोपीराम 8.कालूराम 9.रूघाराम पुत्रगण इमरतीदेवी पुत्री गोपीराम 10.द्रोपतीदेवी 11. कौशल्या देवी पुत्रियां इमरतीदेवी पुत्री गोपीराम 12. कश्मीरीलाल पुत्र महेश्वरीदेवी पुत्री गोपीराम 13.कासीराम 14. भागूराम पि. गोधू 15.शीलादेवी पत्नी जसराम 16.माया पुत्री जसराम 17.सहीराम पुत्र चेतनराम 18.मदनराम 19.कालूराम 20. रिछपाल पिसराम जसराम 21.निराणाराम 22. ख्यालीराम 23.रामलाल पिसरान चेतनराम 24. सन्तो 25. समी पुत्रियां चेतनराम 26. देवीलाल 27.नत्थूराम 28. हेतराम 29. रामेश्वरलाल पिसरान सहीराम 30. विद्या पुत्री सहीराम 31. पालाराम 32. लेखराम 33. जसराम 34. सोहनलाल 35. हंसराज पिसरान सुखराम 36. सुखराम पुत्र खुमानाराम 37. सुगनीदेवी 38. सन्तोदेवी पुत्रियां हरचन्द समस्त जाति मेघवाल निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ 39. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

– प्रतिवादीगण

उपस्थित – 1. श्री जसवीरसिंह वर्मा एडवोकेट (वादीगण)
2. श्री बिशम्बर तंवर एडवोकेट (प्रति.सं.1ता 12)
3. राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

निर्णय

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता प्रति.12 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य हैं। वादी सं. 1 ता 3 आपस में सगे भाई हैं। वादी सं. 4 वादी सं. 1 ता 3 का सगा भतीजा है। जो वादी सं. 1 ता 3 के सगे भाई मृतक शेराराम का पुत्र है। वादी सं. 5 वादी सं. 1 ता 3 की भाभी है जो वादी सं. 1 ता 3 के सगे भाई अमीचन्द की पत्नी है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 वादी सं. 1 ता 3 की सगी बहिन, वादी सं. 4 की बुआ तथा प्रतिवादी सं. 5 की ननद है। प्रतिवादी सं. 2 ता 6 वादी सं. 1 ता 3 के सगे भतीजे व भतीजी है। प्रतिवादी सं. 7 वादी सं. 1 ता 3 की भाभी है, जो वादी सं. 1 ता 3 के सगे भाई मृतक शेराराम की पत्नी है। प्रतिवादी सं. 8 ता 11 वादी सं. 1 ता 3 की सगी बहिन मृतका इमरती

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वी के विधिक वारिसान व प्रतिवादी सं. 12 वादी सं.1 ता 3 की सगी बहिन मृतक महेश्वरीदेवी का विधिक वारिस है। वाद–पत्र को समझने के प्रयोजनार्थ वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 के परिवार की वंशावली वाद–पत्र की चरण सं. 2 में उल्लेखित की गई है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 के परिवार की पैतृक कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 4 पी.टी.पी. व चक 3 के.एस.डी. में अवस्थित है जो वादी सं. 1 ता 3 व प्रतिवादी सं. 1 के पिता, वादी सं. 4 व प्रतिवादी सं. 2 ता 6 के दादा, वादी सं. 5 तथा प्रतिवादी सं. 7 के ससुर तथा प्रतिवादी सं. 8 ता 12 के नाना गोपीराम पुत्र रामकिशन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड चक 4 पी.टी.पी. जमाबंदी संवत् 2068–71 के खाता सं. 57/55 कुल खाता 9.033 है. में गोपीराम के नाम 1/3 हिस्सा दर निष्क हिस्सा तथा चक 3 के.एस.डी. जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता सं. 48/35 में 1.252 है. हिस्सा कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि की चालू जमाबंदियां वाद–पत्रा के साथ संलग्न है तथा उक्त चकों के उक्त खातों की कुल कृषि भूमि का विवरण वाद–पत्रा की चरण सं. 3 के उपचरण (क) व (ख) में दिया गया है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वाद–पत्र की चरण सं. 3 में उल्लेखित गोपीराम पुत्र रामकिशन के नाम दर्ज वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 12 के परिवार की पैतृक कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 12 कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। प्रतिवादी सं. 8 ता 11 की माता इमरतीदेवी व प्रतिवादी सं.12 की माता महेश्वरीदेवी ने अपने जीवनकाल में ही तथा प्रतिवादी सं. 1 ने भी पैतृक कृषि भूमि में प्राप्त होने वाले हक व हिस्सा का मौखिक परित्याग कर दिया था चूंकि उनके व वादी सं. 1 ता 3 के पिता गोपीराम पुत्र रामकिशन द्वारा उनकी शादी अच्छे परिवार में की गई थी तथा उन्हें शादी के समय ही उनके हिस्सानुसार उपहार दिए गए थे। जिससे वे अपने परिवार में खुशी व सुखी रही उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक वारिसन प्रतिवादी सं. 8 ता 12 वादीगण के व्यवहार से खुश है तथा उक्त पैतृक कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 अपने परिवार में खुश व सुखी रह रही है वह भी वादीगण के व्यवहार से प्रसन्न हैं तथा उक्त पैतृक कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। उक्त परिस्थिति में वादीगण ने आपस में तथा अन्य प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकारों के साथ अच्छी मंदी भूमि के आधार पर रास्ता, खाला, जोत, काश्त की सुविधा तथा जोत के एकीकरण को ध्यान में रखकर घरू विभाजन कर लिया है। वादीगण उक्त घरू विभाजन के अनुसार अपने–अपने क्षेत्रा की जोत पर काबिज होकर निर्वघ्न शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे। मुताबिक घरू विभाजन चक 4 पी.टी.पी. जमाबंदी संवत् 2068–71 के खाता सं. 57/55 कुल खाता 9.033 है. में गोपीराम पुत्र रामकिशन के नाम कुल खाता में 1/3 हिस्सा . दर निष्क हिस्सा कृषि भूमि के वादी सं. 1 व 2 तथा वादी सं. 5 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार हैं इसी प्रकार चक 3 के. एस.डी. जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता सं. 48/55 में गोपीराम पुत्र रामकिशन के नाम दर्ज 1.252 है. कृषि भूमि के वादी सं. 3 व 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार हैं। इसी अनुसार उक्त चकों के उक्त खातों से गोपीराम पुत्र रामकिशन का नाम

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

कलमजन किया जाकर कृषि भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जावे। मुताबिक घरू विभाजन वादीगण के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार कृषि भूमि वादीगण के आधिपत्य एवं धारण में है। आधिपत्य के संबंध में कोई वाद विवाद नहीं है। वादीगण को वाद–पत्रा की चरण सं. 4 की उपचरण क, ख, ग, घ, ड़, के अनुसार कृषि भूमि घरू विभाजन में प्राप्त हुई है। वाद–पत्रा की चरण सं. 4 में उल्लेखित घरू विभाजन अनुसार प्राप्त वादीगण के आधिपत्य की कृषि भूमि सांझे खातों में दर्ज होने एवं वादी सं. 1 ता 3 के पिता, वादी सं. 4 के दादा तथा वादी सं. 5 के ससुर गोपीराम पुत्र रामकिशन के नाम दर्ज होने व वादीगण के नाम रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण कृषि भूमि की सीमा रास्ता खाला इत्यादि को लेकर विवाद उत्पन्न होने का अंदेशा रहता है। वादीगण सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि विकास की योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो जायेगें । वादीगण की उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का खाता अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम नहीं होता है तो वादीगण के खातेदारी अधिकारों का उल्लंघन होगा तथा वादीगण के साथ कुठाराघात होगा। जिससे वादीगण को अपरिमेय क्षतिकारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है। विगत सप्ताह वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे वाद–पत्रा की चरण सं. 4 में उल्लेखित वादीगण के घरू विभाजन के अनुसार प्राप्त हुई वादीगण के हक व हिस्सा तथा आधिपत्य की कृषि भूमि वादीगण के नाम रिकार्ड में दर्ज करवा देवें तथा उक्त कृषि भूमि का खाता अलग कायम करवा रकमराज अलग कायम करवा देवें। वादीगण के इस निवेदन पर प्रतिवादीगण पहले तो आज–कल, आज–कल का कहकर टालमटोल करते रहे। अन्ततः वादीगण के इस निवेदन को मानने से कतई इनकार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की ओर से इकबाल दावा व प्रतिवादी सं. 39 की ओर से जबाव दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 13 ता 36 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए। जिन्हें आवाज लगवाई गई बावजूद आवाज प्रतिवादी सं. 13 ता 36 उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई। प्रतिवादी सं. 37 व 38 की सम्यक तामिल वादीगण द्वारा उनके सम्मन अखबार में प्रकाशित करवाकर करवाई गई। दैनिक समाचार की प्रति वाद–पत्र में प्रस्तुत करने पर उक्त प्रतिवादी सं. 37 व 38 को आवाज लगवाई गई। बाद आवाज उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी सं. 37 व 38 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण द्वारा वाद में अनुचित रूप से संयोजित प्रतिवादी सं. 17 को वाद से हटाये जाने का प्रार्थना–पत्रा प्रस्तुत किया गया। जो अनापत्ति के कारण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 17 को वाद से हटाया गया। वाद–पत्र में केवल मात्र प्रतिवादी सं. 1 ता 12 ने अपना इकबाल दावा प्रस्तुत किया है। जिससे वाद–पत्र में विवाधक बनने नहीं पाये जाने पर पत्रावली में साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी सं. 1 ने अपनी साक्ष्य

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया एवं वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेज 1 ता 11 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। वाद–पत्र में वर्णित रकबा पर ही वादीगण काबिज है। वाद में वर्णित आराजी की घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष पाने के अधिकारी है। वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण डिग्री किया जाता है कि चक 4 पी.टी.पी. जमाबंदी संवत् 2068–71 के खाता सं. 57/55 कुल खाता 9.033 है. में गोपीराम पुत्र रामकिशन के नाम कुल खाता में 1/3 हिस्सा दर निष्क हिस्सा कृषि भूमि के वादी सं. 1 व 2 तथा वादी सं. 5 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार हैं इसी प्रकार चक 3 के.एस.डी. जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता सं. 48/55 में गोपीराम पुत्र रामकिशन के नाम दर्ज 1.252 है. कृषि भूमि के वादी सं. 3 व 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार हैं। इसी अनुसार उक्त चकों के उक्त खातों से गोपीराम पुत्र रामकिशन का नाम कलमजन किया जाकर कृषि भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जावे। वादीगण की कृषि भूमि का खाता वाद–पत्र की चरण सं. 4 की उपचरण क, ख, ग, घ, ड़, के अनुसार अलग–अलग कायम की जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 18.4.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(रामसखे मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया पीठासीन अधिकारी – रामरख मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 268/2016

1. रजीराम 2. लालचन्द 3. श्रवणराम पि. गोपीराम 4. विनोद कुमार पुत्र शेराराम पुत्र गोपीराम 5. चन्द्रकला पत्नी अमीचन्द पुत्र गोपीराम समस्त जाति मेघवाल निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

– वादीगण

बनाम

1.शिमलादेवी पुत्री गोपीराम 2. देवीलाल पुत्र शेराराम पुत्र गोपीराम 3.सुमन पुत्री शेराराम पुत्र गोपीराम 4.विजयकुमार 5. मदनलाल 6.रमेश कुमार पिसरान अमी चन्द पुत्र गोपीराम 7. कोरांदेवी पत्नी शेराराम पुत्र गोपीराम 8.कालूराम 9.रूघाराम पुत्रगण इमरतीदेवी पुत्री गोपीराम 10.द्रोपतीदेवी 11.कौशल्या देवी पुत्रियां इमरतीदेवी पुत्री गोपीराम 12.कश्मीरीलाल पुत्र महेश्वरीदेवी पुत्री गोपीराम 13.कासीराम 14. भागूराम पि. गोधू 15.शीलादेवी पत्नी जसराम 16.माया पुत्री जसराम 17.सहीराम पुत्र चेतनराम 18.मदनराम 19.कालूराम 20. रिछपाल पिसराम जसराम 21.निराणाराम 22. ख्यालीराम 23.रामलाल पिसरान चेतनराम 24. सन्तो 25. समी पुत्रियां चेतनराम 26. देवीलाल 27.नत्थूराम 28. हेतराम 29. रामेश्वरलाल पिसरान सहीराम 30. विद्या पुत्री सहीराम 31. पालाराम 32. लेखराम 33. जसराम 34. सोहनलाल 35. हंसराज पिसरान सुखराम 36. सुखराम पुत्र खुमानाराम 37. सुगनीदेवी 38. सन्तोदेवी पुत्रियां हरचन्द समस्त जाति मेघवाल निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ 39. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन अं.धारा 88/53
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व वाद सं. 268/2016

निर्णय दिनांक 18/4/2017

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जसवीरसिंह वर्मा एडवोकेट मिन जामिन मुदई श्री बिशम्बर तंवर एडवोकेट मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि चक 4 पी.टी.पी. जमाबंदी संवत् 2068–71 के खाता सं. 57/55 कुल खाता 9. 033 है. में गोपीराम पुत्र रामकिशन के नाम कुल खाता में 1/3 हिस्सा दर निष्क हिस्सा कृषि भूमि के वादी सं. 1 व 2 तथा वादी सं. 5 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार हैं इसी प्रकार चक 3 के.एस.डी. जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता सं. 48/55 में

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

गोपीराम पुत्र रामकिशन के नाम दर्ज 1.252 है. कृषि भूमि के वादी सं. 3 व 4 व हि.ब. के खातेदार काश्तकार हैं। इसी अनुसार उक्त चकों के उक्त खातों से गोपीराम पुत्र रामकिशन का नाम कलमजन किया जाकर कृषि भूमि वादीगण के नाम दर्ज किया जावे। वादीगण की कृषि भूमि का खाता वाद–पत्र की चरण सं. 4 की उपचरण क, ख, ग, घ, ड, के अनुसार अलग–अलग कायम किया जावे। वादीगण को प्राप्त हुई कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

(क) वादी सं. 1 रजीराम पुत्र गोपीराम के हिस्सा एवं आधिपत्य की कृषि भूमि –
चक 4 पी.टी.पी. जमाबंदी संवत् 2068–71 खाता सं. 57/55 प.नं.140/136 मु.नं. 14 कि. नं. 4/.228, 7/.253 गै.मु. 0.025 **कुल 0.506 है.**

(ख) वादी सं. 2 लालचन्द पुत्र गोपीराम के हिस्सा एवं आधिपत्य की कृषि भूमि –
चक 4 पी.टी.पी. जमाबंदी संवत् 2068–71 खाता सं. 57/55 प.नं.139/135 मु.नं. 12 कि. नं. 15/.253 प.नं. 140/136 मु.नं. 14 कि.नं. 3/.228, गै.मु. 0.025 **कुल 0.506 है.**

(ग) वादी सं.5 चन्द्रकला पत्नी अमीचन्द पुत्र गोपीराम के हिस्सा एवं आधिपत्य की कृषि भूमि –
चक 4 पी.टी.पी. जमाबंदी संवत् 2068–71 खाता सं. 57/55 प.नं. 140/135 मु.नं. 11 कि. नं. 23–24/.253 है. **प्र.कुल 0.506 है.**

(छ) वादी सं. 4 विनोद कुमार पुत्र शेराराम पुत्र गोपीराम के हिस्सा एवं आधिपत्य की कृषि भूमि –
चक 3 के.एस.डी. जमाबंदी संवत् 2070–73 खाता सं. 48/35 प.नं. 155/128 मु.नं. 37 कि.नं. 16/.126, 25/.215 प.नं. 156/128 मु.नं. 38 कि.नं. 21/.247 **कुल 0.588 है.**

(ड़) वादी सं. 3 श्रवण कुमार पुत्र गोपीराम के हिस्सा एवं आधिपत्य की कृषि भूमि
चक 3 के.एस.डी. जमाबंदी संवत् 2070–73 खाता सं. 48/35 प.नं. 156/128 मु.नं. 38 कि.नं. 21/0.006, 22–23/.506 है. 24/0.076 है. **कुल 0.588 है.**

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन मुक्त होने पर इंतकाल दर्ज किया जावे।

निज ..... मुब्लिक..... बाबत ..... खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 3/4/2017 को जारी की गयी।

(रामसाख मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) संगरिया